न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 276/2026

प्रमेश पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल, निवासी ग्राम किशनपुरा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर।
–– प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अजमेर। –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा 303(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट

उपस्थित

1– श्री रोहित टांक, अधिवक्ता, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2– श्री जे.पी.शर्मा, लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक–16.03.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त प्रमेश की ओर से यह जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित टांक ने प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस सुनी गई तथा अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

2. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है। प्रार्थी–अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए, निवेदन किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अन्वेषण तंत्र ने जुर्म धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर.एक्ट का आरोप प्रमाणित माना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

4. हमने उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

5. प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.01.2026 को बिना वैध परमिट व लाईसेंस के वाहन नम्बर आरजे–27 जीबी–1835 में लगभग 10 एमटी खनिज बजरी को

Authenticated Document

बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करने का आरोप है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई अपराध नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा से दंडित किया जा सकता हो। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 11.03.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को उचित शर्त के अधीन जमानत का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी–अभियुक्त प्रमेश की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त अपनी रिहाई हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूति फोटो चस्पा, संबंधित विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध भविष्य में अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने पर लोक अभियोजक को प्रार्थी–अभियुक्त की जमानत निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। **उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई–मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।**

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

7. आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.16 16:26:21 +0530

Authenticated Document